



दिनांक 7=7

प्रतिनिधि मंडल आदेश दिनांक 30-9-10 2010
उपरोक्तलाधिकारी सभेन जनक अर्थात् का. 14/11/10
अन्वयेन चरका 103000 कि 30000 काय लहेगा सभेन
सभेन लभ्यमान सभेन । 500 नाया पासेस 30-9-10 2010
दिनां मुसा विद्यालय लहेगा कतय सभे सभे

प्रतिनिधि मंडल आदेश दिनांक 30-9-10 2010

सभे सभेन है।



न्यायालय उपजिलाधिकारी लखीम

काद संख्या : 14/10

उत्पत्ति वारा 14340 वि०अ०/१० ग्राम लहेगा पर० रौंठा तह० लखीम

डा० लीमा बाण्डेय पुष्पक बनारस गांधीनगर लहेगा उत्तरे

निर्णय

यह कार्यवाही इस न्यायालय पर डा० लीमा बाण्डेय पुष्पक राजकी देव महाविद्यालय लहेगा उत्तरे वारा 14340 वि०अ०/१० नगर द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र पर प्रारम्भ हुई। वादिनी ने प्रार्थना की है कि गाटा सं०-1362/1-822 से 1363/0-1070 से गाटा सं० 1363/0-1240 पर राजकी देवी महाविद्यालय लहेगा है। कि पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है। अतः उक्त भूखंड को गैर कृषि घोषित करने को आदेश दिया जाय। वादिनी ने प्रार्थना की है कि गांधीनगर लखीम न्यायालय पर 14340 वि०अ०/१० नगर से

स्फोटक कार्य हेतु पत्राचार तहसीलदार लखीम को मनी गयी, तहसीलदार लखीम ने अपनी जांचवा स्फोटक कार्य के पत्राचार निर्धारित प्रारूप पर भेजा है। जिससे उल्लेख किया है कि गाटा संख्या- 261.00338 एवं 00339 पर उचित गाटा सं०-1362/1-822 से 1363/0-1070 से गाटा संख्या 1363/0-1070 से गाटा संख्या 1363/0-1240 से गांधीनगर राजकी देवी महाविद्यालय लहेगा पुष्पक डा० लीमा बाण्डेय है। गाटा संख्या 1362/1-822 से गाटा सं० 1363/0-1070 से एवं गाटा सं०-1363/0-1240 से पर उक्त विषय का मत बना हुआ है। कि वारा उक्त भूखंड पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है, वारा भूखंड उचित है। अतः गाटा सं० 1362/1-822 को गाटा सं० 70-1 एवं 1363/0-1070, 1363/0-1240 को गाटा सं० 6.25 से 0 को गैर कृषि घोषित करने को आदेश हेतु निर्णय किया है। तहसीलदार ने जांचवा के साथ स्फोटक कार्य का मानचित्र भेजा है।

यह कार्य दृष्टिगत करके कृषि विभाग को निर्णय निर्गत किया जाय। जो कार्य तामील परावर्तित है। किसी प्रकार को अपरिचित प्राप्त नहीं हुई है।

दोनों पक्षों को उपरोक्त एवं उल्लेख किया तहसीलदार ने अपनी जांच में स्पष्ट उल्लेख किया है कि गाटा सं०-1362/1-822 एवं 1363/0-1070, 1363/0-1240 पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। वारा भूखंड उचित है। गाटा सं० पर विद्यालय मत बना है एवं उचित निर्धारित है तहसीलदार ने उक्त गाटा को गैर कृषि घोषित करने को आदेश हेतु निर्णय किया है। प्रत्येक पक्ष को निर्णय प्रकार को अपरिचित नहीं प्राप्त हुई है। अतः गाटा सं० 1362/1-822, 1363/0-1070 एवं 1363/0-1240 से गैर कृषि घोषित करने को आदेश। कि प्रकार को वैधानिक उचित नहीं है।

आदेश

उपरोक्त विवेका के आधार पर ग्राम लहेगा परगना रौंठा तहसील लखीम को लखीम 14340-14340 के गाटा संख्या 261 पर उचित गाटा संख्या 1362/1-822 गाटा सं० 70-00 से 1363/0-1070, 1363/0-1240 से गाटा सं० 6.25 से 0 को वारा 14340 वि०अ०/१० के अन्तर्गत गैर कृषि घोषित किया जाय।

